श्री रामायण यादव, अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय :विधि कार्य विभाग

कमरा सं. 408, "ए" विंग,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001

******

अपील सं 11/ अ.स.(आरवाई)/आईसी/आरटीआई/2015 **दिनांक 26/05/2016**

के मामले में :

श्री पाल सिंह,
77, राम विहार-2,
देवरी रोड, आगरा-। (उ0प्र0) ..... अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ..... प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक 26/05/2016

श्री पालसिंह (यहां इसके पश्चात अपीलार्थी) ने अपने दिनांक 12.3.2016 के सूचना का अधिकार आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचना मांगी थी:-

(1) यह कि गुजरात उच्च न्यायालय मामला सं. 10097/2000 की पेंडेंसी के दौरान, वर्ष 2008 में द्वारा रिव्यूह एएसआई/ई 1988 से तथा एसआई/ई 1994 से मानकर एफआर 27 के अधीन वेतनमान में सभी वेतनवृद्धियों को जोड़कर परिणामी लाभ देकर 1988 से 2008 तक का देय बकाया एरियर के भुगतान को रोका जाना अथवा लटकाए रखने के समर्थन में संसदीय नियमावली यदि है, तो सूचना के साथ उपलब्ध कराएं। प्रकरण पर सीआईएसएफ द्वारा जांच प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई?

(2) यह कि उपरोक्त संदर्भित देय एरियर भुगतान के भाग अंततः डाली गई केस पेंडेंसी एक विधिक बाधा है कि निपटान से पूर्व कोई कार्यवाही अमल में लाना संभव नहीं के समर्थन में संसदीय प्रावधान है, तो सूचना के साथ बताएं। यदि नहीं, तो यह मनमानी रोक क्यों?

(3) यह कि उपरोक्त भुगतान को रोके जाने हेतु केंद्रीय सरकार के सीआईएसएफ विभाग के अधिकारियों द्वारा बहाने पर बहाने, झूठ पर झूठ, बयान बदल-बदल कर दस्तावेजी साक्ष्यों से छेड़खानी कर साजिशन प्रपत्र तैयार करना, ऐसे कृत्य/ कृत्यों का कदाचार/ भ्रष्टाचार /सदाचार में से कौन सा कृत्य मानते हैं? सूचना के

साथ बताएं कि सीआईएसएफ विभाग की प्रबंधकीय कमान किस मंत्रालय के पास है, वह गंभीर कृत्य उक्त पर रिपोर्ट क्यों नहीं है?

(4) यह कि सीआईएसएफ को उपरोक्त प्रकार की सर्विस कंडीशन्स से जुड़ी सूचनाएं देने से आरटीआई में मुक्त किया गया है? सूचना के साथ बताएं। क्या सेवा के बदले नियमानुसार वेतन भत्तों की हकदारी नहीं बनती है? रिपोर्ट तलब करें।

2. विधि कार्य विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (यहां इसके पश्चात प्रत्यर्थी) ने अपने दिनांक 8.4.2016 के उत्तर के तहत अपीलार्थी को यह सूचित किया था कि आपकी याचिका दिनांक 12.3.2016 का संबंध विभाग से नहीं होने के कारण आपसे प्राप्त याचिका का हस्तांतरण गृह मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ किया गया है कि आप सीधे ही उपरोक्त संबंधित कार्यालय से सूचना प्राप्त करें।

3. अपीलार्थी ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 8.4.2016 के निर्णय से व्यथित हो कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत अपील दाखिल की है।

4. इस मामले में दिनांक 25/5/2016 को दोपहर 12:00 बजे कमरा सं. 408, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में सुनवाई निर्धारित की गई थी और दोनों पक्षकारों को इसका नोटिस दिया गया था। सुनवाई में दोनों पक्षकार उपस्थित हुए।

5. मैंने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षकारों की बात सुनी। प्रत्यर्थी ने कहा कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना कानूनी सलाह मांगने जैसी है और यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अधीन सूचना की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग प्राइवेट व्यक्तियों को विधिक सलाह नहीं देता है।

6. दोनों पक्षकारों की बात सुनने के बाद और रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना कानूनी सलाह मांगने जैसी है और वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अधीन सूचना की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है तथा विधि कार्य विभाग प्राइवेट व्यक्तियों को विधिक सलाह नहीं देता है। प्रत्यर्थी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी के उक्त सूचना का अधिकार आवेदन-पत्र को गृह मंत्रालय को अंतरित करके उचित किया है।

7. तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है।

8. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है/व्यथित है, तो वह 90 दिन के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066 के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकता है।

रा० या०

(रामायण यादव)

अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:-</u>

1. श्री पाल सिंह, 77, राम विहार-2, देवरी रोड, आगरा-1, उत्तर प्रदेश।
2. श्री के0 गिनखन थंग, उपसचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली।
3. अनुभाग अधिकारी, कार्यान्वयन कक्ष, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001